न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/5382/2004/बांसवाड़ा

1– भीम पुत्र हरि जी,
2– वालहेग पुत्र हरि जी,
3– मानीया पुत्र हरि जी,
4– धूलिया पुत्र हरि जी,
5– रंगजी पुत्र हरि जी,
6– हुरता पुत्र जवाब (मृतक) जरिये वारिसान–
6/1– हरदार पुत्र हुरता,
6/2– ईश्वर पुत्र हुरता,
6/3– छगन पुत्र हुरता,
6/4– वाला पत्नि हुरता,
7– पूजा पुत्र वीरा,
8– चूला पुत्र वीरा सभी जाति भील निवासी ईटाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा।

.....अपीलांट्स

बनाम

1– रकमा पुत्र गुलाब भील,
2– भाम जी पुत्र तेजहेंग भील,
3– भारत पुत्र गुलाब भील निवासी ईटाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा।

..... रैस्पोडेंट्स

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री सुनील पारीक, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री एस0के0 शर्मा अभिभाषक रेस्पो0।

निर्णय **दिनांक :– 06–11–2019**

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विरुद्ध आदेश भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदने राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–9–2004 अपील सं0 306/2003 बउनवानी भीमजी बनाम रकबा के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नं0 615, 616, 634, 647, 648, 658, 692, 694, 695, 711,

712, 713, 715, 716, 830, 1456/609–608, 1461/613 कुल किता 17 रकबा 41 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा ईटाला तहसील कुशलगढ़ में स्थित होकर वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि है तथा उस पर शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे हैं लेकिन 10–15 दिन पूर्व प्रतिवादीगण ने खसरा नं0 634 रकबा 7 बीघा में मौके पर वादीगण की मक्की की फसल काटने गये तथा रवी की फसल के लिए खेत तैयार करने गये तो प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण कर हल चलाने प्रयास किया तथा मना करने पर मारने पर उतारू हो गये और कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न की। इसलिए उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 30–4–2002 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण ने विद्वान अपीलीय नयायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर में अपील प्रस्तुत की गई जो उन्होंने भी अपने निर्णय दिनांक 17–9–2004 को अपीलांट की अपील खारिज कर दी जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 17–9–2004 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील बहस में तर्क दिया कि वादीगण/अपीलांट वादग्रस्त आराजी के रेकार्डेड टिनेन्ट हैं और दावा दायरी के दिन भी रेकार्डेड टिनेन्ट थे एवं कब्जा काश्त वादीगण का है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 की प्रस्तुत की गई एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2055–2058 में अपीलांट खातेदार टिन्नेट हैं एवं कब्जे काश्त में दायर वाद के दिन की स्थिति को दर्शाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद खातेदार टिनेन्ट द्वारा ही लाया जा सकता है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रतिवादीगण को कब्जे में माना और सम्वत् 2013 से 2021 की खसरा गिरदावरी में माना जबकि दावा दायर करने के दिन कब्जा काश्त को देखना चाहिए था। तनकी सं0 1 में वादीगण/अपीलांट का कब्जा काश्त वादग्रस्त आराजी पर नहीं मानकर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त मौका रिपोर्ट दिनांक 30–7–2001 के आधार पर मानकर अपना निर्णय पारित किया है जबकि उक्त रिपोर्ट इस प्रकरण से संबंधित नहीं है और ना ही इस प्रकरण में मौका रिपोर्ट ली गयी जो

प्रदर्शित भी नहीं थी। एकतरफा रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं की जा सकती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि तनकी सं0 2 को निर्णित करते समय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सज्जनगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 7–8–2001 को आधार मानकर निर्णय पारित किया है एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादीगण का कब्जा खसरा नं0 634 की 7 बीघा पर कब्जा खसरा गिरदावरी सम्व9त् 2013 से 2021 में मानकर निर्णय किया है जबकि दावा दायरी के दिन कब्जा काश्त देखना चाहिए था। तनकी सं0 3 में प्रतिकूल कब्जा माना है जबकि प्रतिकूल कब्जे के लिए प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर सम्वत् 2013 से दावा दायर करने के दिन निरन्तर कब्जे काश्त में होना चाहिए। इस बाबत रेकार्ड पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं थी। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ रेकार्ड खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी पेश कर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त सम्वत् 2009 से 2012 तक नहीं है एवं ना ही वह उपकृषक है ना ही खातेदार टिनेन्ट है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में वादीगण/अपीलांट के रेकार्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्य को अनदेखा करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किये गये हैं जो निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रेकार्ड के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जावें।

5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए अपनी बहस में तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी पर दावा दायरी के दिन रेस्पो0 का कब्जा काश्त था जो नायब तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है। इसके अलावा सम्वत् 2013 से 2021 की खसरा गिरदावरी में भी हमारा कब्जा निरस्तर चला आ रहा है। खसरा नं0 634 पर वादीगण/अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय समवर्ती होने से द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त पारित निर्णय में हस्तक्षेप वांछित नहीं होने से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस एवं लिखित बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

7– विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30–4–2002 में अंकित किया कि मौजा ईटाला का भूमि खसरा सं0 634 रकबा 7 बीघा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17–09–2004 में अंकित किया कि आराजी खसरा नं0 634 रकबा 7 बीघा पर अपीलांट का कब्जा साबित नहीं

हुआ है। अतः खसरा नं0 634 के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया है जिससे वह सहमत है।

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2055–2058 में वादग्रस्त आराजी सं0 634 रकबा 7 बीघा सहित कुल खेत 17 रकबा 41 बीघा 10 बिस्वा वादीगणों के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय में काबिज कृषक होने की गम्भीर आपत्ति ली एवं साथ ही अपना काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया जिसके तहत 17 खसरा नम्बरों में से केवल खसरा नं0 634 रकबा 7 बीघा पर अपना कब्जा सम्वत् 2013 से बताया है। प्रतिवादीगण ने अपने कब्जे बाबत खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013 में खसरा नं0 634 पर काश्त तेजेंग व टिटा भील के नाम से दर्ज है जबकि सम्वत् 2014 से लेकर 2021 तक तेजेंग की काश्त दर्ज है तथा इस सम्पूर्ण अवधि में विवादित खसरा नं0 634 की सम्पूर्ण भूमि पर काश्त किये जाने का उल्लेख है और इस पर रवी व खरीफ दोनों ही फसलें की जाती रही हैं। इससे स्पष्ट है कि सम्वत् 2013 से प्रतिवादी के पितामह तेजेंग का कब्जा खसरा नं0 634 पर चला आ रहा है। इस खसरा गिरदावरी के अध्ययन से जाहिर है कि लगभग 5 बिस्वा भूमि न जाते जाने वाले क्षेत्रफल के कॉलम में अंकित है। इसका अर्थ यह हुआ कि 5 बिस्वा भूमि पर तत्कालीन काबिज व्यक्ति के आवास थे, जिनका अंकन खसरा गिरदावरी में है और इस बात की पुष्टि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नकल मौका रिपोर्ट दिनांक 30–7–2001 से भी होती है। मौका रिपोर्ट दिनांक 30–7–2001 में खसरा नं0 634 के दक्षिणी दिशा की ओर प्रतिवादीगण के आवासीय मकान बने होकर उसमें वह परिवार सहित आवास कर रहे हैं तथा गत वर्ष भी कब्जा प्रतिवादीगण का था तथा काश्त उनके द्वारा की गई है। इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2000 में दावा दायर करने के वर्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 634 में कब्जा वादी अपीलांट का नहीं था।

9– इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी एवं रिपोर्ट नायब तहसीलदार दिनांक 7–8–2001 से सिद्ध होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 634 पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा था।

10– चूंकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है तथा समवर्ती निर्णयों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त 2009 डी0एन0जे0 एस0 सी0 पेज 385, 2001 ए0आई0आर0 एस0सी0 पेज 2282 एवं 2002 ए0आई0आर0 पेज 2849 में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत समवर्ती निर्णयों में जब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो कि कोई विधिक

त्रुटि कारित की गई हो। हस्तगत प्रकरण में हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। इसलिए दोनों समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विधि सम्मत समवर्ती निर्णय पारित किये हैं जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

11– उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा तनकीवार विवेचन करते हुए वाद को खारिज किया है जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा सही रूप से अपील अपीलांट खारिज करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को बहाल रखा गया है।

12– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदने राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–9–2004 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2002 यथावत रखें जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य